न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – अंशुल आमेरिया (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 17/2022

उनवान

छोगालाल पुत्र धन्नालाल जाति रेगर निवासी ग्राम गुदली, अजमेर।

——— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री ताराचन्द कुर्डिया

बनाम

1. हरचन्द पुत्र गोमा जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
3. प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बीर अजमेर,

—— अप्रार्थीगण :– 1 व 3 अनुपस्थित
2 जरियें राज0 पैरोकार

उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 19/7/23

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानाखेडी के खाता संख्या 89/81 खसरा नम्बर 655, 664, 657, 691/2853 किता 4 रकबा 1.52 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 655/2907 रकबा 0.26 के दक्षिण सींव से 15 फिट चौडा रास्ता चाहता है। उक्त रास्ता बरडा डालकर बनाया गया है। जिसका उपयोग–उपभोग दोनो पक्षकार कर रहे है। अतः धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि को रास्ते हेतु डी0एल0सी0 की दरो पर प्रार्थी को उपलब्ध कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 अनुपस्थित रहे।
तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम कानाखेडी के खसरा नम्बर 655, 657, 664, 691/2853 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। खसरा नम्बर 655/2907 रकबा 0.26 अप्रार्थी संख्या 1 की [illegible] की है। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 655 व 655/2907 पर पूर्व 10.5 फिट चौडा [illegible] हुयी है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग मौके व रेकार्ड में उपलब्ध नहीं है। बरडा सडक को 12 फिट चौडी करने के लिये दोनो सहमत है। खसरा नम्बर 655/2907 में से मार्ग [illegible]0 गुणा 4 मीटर कुल 240 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:35:46 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

राजमार्ग व खसरा नम्बर 655 के बीच अन्य खसरा नम्बर की स्थिति स्पष्ट करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गयी। भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि खसरा नम्बर 655 व राष्ट्रीय राजमार्ग के के बीच कोई कृषि योग्य भूमि नही है। खसरा नम्बर 655 के आंशिक भाग को छोडते हुये शेष सभी खसरा नम्बर पर राजमार्ग की सर्विस लेन बनी हुयी है। खसरा नम्बर 655/3132 व 655/3135 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम अंकित है। खसरा नम्बर 691/2852 अमर सिंह पुत्र कम्मा के नाम दर्ज है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग विधमान नही हैं। प्रार्थी को आवागमन हेतु अपनी खातेदारी आराजी पर मार्ग उपलब्ध कराना न्याय की मंशा के अनुकूल है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता सिद्व होती है। खसरा नम्बर धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। खसरा नम्बर 655 प्रार्थी की खातेदारी का ही है। खसरा नम्बर 655/2907 में से प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम कानाखेडी के खसरा नम्बर 655/2907 रकबा 0.26 में से 60 गुणा 4 मीटर कुल 240 वर्ग मीटर भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में से सिवायचक खाते में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद खसरा नम्बर 655/2907 की आराजी के बदले 84836/ अक्षरे चौरासी हजार आठ सौ छतीस रूपये अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान के बाद गै0मु0रास्ते का इन्द्राज राजस्व अभिलेख के सिवायचक खाते में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:35:46 IST
Reason: SelfAttested